E:\C data\Section-II\Letter.doc 107

दूरभाष : नियंत्रक : 0755-2550931
संयुक्त नियंत्रक : 0755-2551069
उप नियंत्रक : 0755-2551069
फैक्स : 0755-2551069
E-mail : Controller_press@yahoo.com

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

अरेरा हिल्स, मैदा मिल रोड, भोपाल—462 011

भोपाल, दिनांक 2-5-2013

क्रमांक ... जी0बी0/दो(18)2013/1570

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय,
जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:— इस कार्यालय में पंजीकृत कतिपय मुद्रक का पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने बाबत।

—0—

राज्य स्वास्थ्य समिति (व्ही.बी.डी.सी.पी.), भोपाल के पत्र क्रमांक 466 दिनांक 26—3—2013 के संलग्न जिला मलेरिया अधिकारी, रायसेन के पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 10—10—2012, कार्यालय नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0,भोपाल से जिला मलेरिया अधिकारी, रायसेन को प्रेषित पत्र क्रमांक 9226 दिनांक 27—12—2012 एवं मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, भोपाल द्वारा रायसेन कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक क्रमांक 712 दिनांक 22—12—12 राशि रूपये 4,52,138=00 (रूपये चार लाख बावन हजार एक सौ अड़तीस) सत्यापन सहित भेजा गया। अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त यह पाया गया कि जिला मलेरिया अधिकारी, रायसेन का उपरोक्त मुद्रण मांग—पत्र इस कार्यालय का प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी मुद्रक को कार्य आउटसोर्स किया गया।

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0,भोपाल के पिछड़े वर्ग के छात्रवृत्ति प्रपत्रों एवं जाति प्रमाण—पत्र इत्यादि वर्ष 2011—12 में मुद्रण कार्य मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, भोपाल द्वारा सीधे विभाग से प्राप्त कर संभागीय उपायुक्त, आदिवासी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इन्दौर, रीवा, सागर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर एवं भोपाल को सामग्री प्रदाय किया गया एवं बाद में उक्त मुद्रित सामग्री का भुगतान प्राप्त किया गया एवं वर्ष 2012—13 के मुद्रण कार्य

...2..

मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, भोपाल द्वारा सीधे विभाग से प्राप्त कर संभागीय उपायुक्त, आदिवासी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, जबलपुर एवं इन्दौर को सामग्री प्रदाय किया गया एवं बाद में उक्त मुद्रित सामग्री का भुगतान मेसर्स हेल्पलाईन एजेंसी प्रा0लि0, भोपाल द्वारा प्राप्त किया गया। अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त यह पाया गया कि आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0,भोपाल का पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 21–3–2013 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी मुद्रक को कार्य आउटसोर्स किया गया।

उपरोक्त पैरा 1 एवं 2 में उल्लेखित मुद्रण कार्य मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, भोपाल ने सीधे विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय के नाम की स्टेशनरी, पदमुद्रा नकल कर धोखाधड़ी एवं पूर्णतः फर्जी कार्यवाही की गई है।

पत्र क्रमांक 1457 दिनांक 18–4–2013 द्वारा मुद्रक को नोटिस भेजकर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 22–4–2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिगत सुनवाई में मुद्रक उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मेरे द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किया। मैं संतुष्ट हूँ, कि मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, भोपाल ने शासकीय कार्यालय के नाम की स्टेशनरी, पदमुद्रा नकल कर धोखाधड़ी कर पूर्णतः फर्जी कार्यवाही की है।

अतः मध्यप्रदेश पंजीयन नियम 1984 (संशोधित) के नियम 23 में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप **मेसर्स प्रियंका प्रिंटर्स, बी–84, कस्तुरबा नगर, भोपाल का पंजीयन निरस्त कर उन्हें काली सूची में शामिल** किया जाता है।

उक्त स्थिति से अपने अधीन सर्व संबंधितों/कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल.

पृ0क्र0जी0बी0/दो(18)2013/ **भोपाल, दिनांक ....**

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– संयुक्त नियत्रंक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पत्र को बेवसाइड www.govtpressmp.nic.in पर रखने हेतु संबंधित को निर्देशित करें एवं रिपोर्ट इस ओर भेंजे।

3– उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा,

4– मेसर्स प्रियंका प्रिन्टर्स, बी–84, कस्तुरबा नगर, भोपाल,

5– नियंत्रक के स्टेनो/गार्ड नस्ती।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल.